निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 32 / 2023
दायरा दिनांकः–05.10.2023
निर्णय दिनांकः– 29.10.24

उनवान

1. पप्पु उर्फ हरिचरण आयु 44 वर्ष पुत्र गंगाप्रसाद
2. केसरबाई उर्फ कैलाशी बाई आयु 68 वर्ष पत्नी गगांप्रसाद जातियान ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामचरण आयु 68 वर्ष आत्मज मिश्रीलाल जाति मीणा निवासी गोडियामेहर
2. रामसुखी आयु 55 वर्ष पुत्री देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गोडियामेहर
3. सीता आयु 48 वर्ष पुत्री देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गोडियामेहर
4. मधु आयु 44 वर्ष पुत्री देवीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी गोडियामेहर
5. विजय आयु वर्ष पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी गोडियामेहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. सरकार जर्ये पटवारी सेमली तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 29.10.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री बृजभुषण शर्मा – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम गोड़ियामेहर तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 495 रकबा 1.7450 है०, खसरा नंबर 546 रकबा 1.2013 है0 कुल किता दो रकबा 2.9463 है० प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाके ग्राम गोड़ियामेहर तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 452 रकबा 0.3541 है०, खसरा नंबर 509 रकबा 0.6323 है०, खसरा नंबर 605/1 रकबा 1.2139 है०, खसरा नंबर 737 रकबा 0.1265 है०, खसरा नंबर 89 रकबा 0.2908 शभी है० कुल पांच किता रकबा 26176 है० प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी क्रम 2 ता 6 के नाम शामलाती खातेदारी एवं कबजे काश्त में स्थित है। वाके ग्राम गोड़ियामेहर तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नंबर 303 रकबा 0.0506 है०, खसरा नंबर 304 रकबा 0.3414 है० कुल वो किता रकया 0.3920 है० प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 2 ता 5 के नाम शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त में स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण नंबर 1, 2 व 3 में वर्णित भूमियात प्रार्थीगण की पैत्रिक जायदाद है। जिसमें प्रार्थना पत्र की मद नंबर में वर्णित भूमियात के राजस्व रिकार्ड में कैलाशीबाई व हरिचरण दर्ज है। लेकिन जाति ब्राहम्ण के स्थान पर मीना जाति

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 व 3 में वर्णित भूमियात में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी हरिचरण के स्थान पर पप्पू तथा कैलाशीबाई के स्थान पर केसरबाई दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 व 3 के राजस्व रिकार्ड में फोती इंतकाल के समय पटवारी हल्का द्वारा बोलते नाम प्रार्थी कम 2 का नाम पप्पू एवं प्रार्थी कम 2 का नाम केसरबाई दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी कम 1 का वास्तविक नाम हरिचरण एवं प्रार्थी कम 2 का वास्तविक नाम कैलाशीबाई है एवं प्रार्थना पत्र की चरण नंबर 1 में वर्णित भूमियात के राजस्व रिकार्ड प्रार्थीया की जाति मीना दर्ज है, जबकि प्रार्थीया की वास्तविक जाति ब्राहम्ण है। प्रार्थीगण के समस्त सरकारी दस्तावेजात परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थीगण का नाम वास्तविक नाम हरिचरण व कैलाशीबाई दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं सरकारी दस्तावेजात में अलग नाम दर्ज होने व अलग जाति दर्ज होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि बाबत् किसी प्रकार का कोई राजस्व या सरकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित है। जिसमें प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद नंबर के राजस्व रिकार्ड में जाति मीना के स्थान पर जाति ब्राहम्ण एवं प्रार्थना पत्र को मद नंबर 2 व 3 में वर्णित भूमियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी कम 1 पप्पू के स्थान पर हरिचरण एवं प्रार्थी कम 2 केसरबाई के स्थान पर कैलाशीबाई दर्ज करवाना चाहते हैं। वाद कारण दिनांक 24.06.2023 को पैदा हुआ। जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी कम 6 के यहां नाम व जाति शुद्ध करने के लिए निवेदन किया तो अप्रार्थी कम 6 द्वारा नाम व जाति शुद्ध करने से मना कर दिया। इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 1, 2 व 3 में वर्णित भूमियात प्रार्थीगण की पैत्रिक स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है। जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण को अपना वास्तविक नाम एवं जाति दर्ज करवाने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 संख्या संख्या 234 नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 259 नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 258 फोटो प्रति आधार कार्ड हरिचरण शर्मा आधार कार्ड कैलाशी बाई फोटो प्रति जन आधार कार्ड कैलाशी बाई शर्मा फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड हरिचरण पुत्र गंगाप्रसाद फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड कैलाशी बाई पत्नि गंगाप्रसाद फोटो प्रति जन आधार कार्ड किरण पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैत्रक भूमि है। खाता संख्या 234 की जमाबन्दी में कैलाशीबाई व हरिचरण दर्ज है लेकिन खातेदारान की जाति ब्राहम्ण के स्थान पर मीना दर्ज है एवं खाता संख्या 259 व 258 की जमाबन्दी में हरिचरण के स्थान पर पप्पु तथा कैलाशीबाई के स्थान पर केसरबाई दर्ज है खाता संख्या 258 व 259 में फोती नामान्तरण खोलतें समय बोलते नाम पप्पु एवं केसर बाई के नाम से दर्ज कर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दिया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम हरिचरण एवं कैलाशीबाई है खाता संख्या 234 में प्रार्थी की जाति मीना दर्ज है जबकि वास्तविक जाति ब्राहम्ण है प्रार्थीगण के समस्त सरकारी दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आदि में वास्तविक नाम हरिचरण व कैलाशीबाई दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में अलग–अलग नाम दर्ज होने एवं अलग जाति दर्ज होने से प्रार्थीगण किसी प्रकार का कोई राजस्व या सरकारी लाभ प्राप्त करने सं वंचित है जिससे प्रार्थीगण को काफी पेरशानी का सामना करना पड रहा है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की जाति और नाम दुरूस्त करने का आदेश फरमावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 234 में कैलाशीबाई पत्नी स्व0 गंगाप्रसाद जाति मीना एवं हरिचरण पुत्र गंगाप्रसाद जाति मीना एवं हरिचरण पुत्र गंगाप्रसाद जाति ब्राहम्ण दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 259 में पप्पु पुत्र गंगाप्रसाद जाति ब्राहम्ण दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम गोडियामेहर सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 258 में पप्पु पुत्र गंगाप्रसाद जाति ब्राहम्ण दर्ज है प्रार्थी कैलाशी बाई के अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, में कैलाशी बाई पत्नि गंगाप्रसाद जाति ब्राहम्ण दर्ज है प्रार्थी हरिचरण के अन्य दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, परिवार राशन कार्ड, में प्रार्थी का नाम हरिचरण जाति ब्राहम्ण दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीगण की राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खाता संख्या 258, 259 में जाति सही है परन्तु नाम गलत दर्ज है इसी प्रकार खाता संख्या 234 में हरिचरण व कैलाशीबाई नाम सही है परन्तु जाति गलत है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेजो में हरिचरण व कैलाशीबाई जाति ब्राहम्ण सही दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 234 में जाति मीना गलत दर्ज है एवं खाता संख्या 258,259 में नाम पप्पु व केसर बाई गलत है।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 234 में खातेदार कैलाशीबाई पत्नि स्व0 गंगाप्रसाद हिस्सा 1/8 जाति मीना सा0देह हरिचरण पुत्र गंगाप्रसाद हिस्सा 1/8 जाति मीना सा0देह खातेदार के स्थान पर कैलाशी बाई पत्नि स्व0 गंगाप्रसाद हिस्सा 1/8 जाति ब्राहम्ण हरिचरण पुत्र गंगाप्रसाद हिस्सा 1/8 जाति ब्राहम्ण दर्ज किया जाना उचित होगा। तथा वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 258 एवं खाता संख्या 259 में केसरबाई पत्नी स्व0 गंगाप्रसाद एवं पप्पु पुत्र गंगाप्रसाद जाति ब्राहम्ण सा0देह खातेदार जर्ये विरासत नामान्तरण 377,378 तथा जर्ये विक्रय पत्र नामान्तरण नम्बर 562 से प्राप्त हुई है खाता संख्या 258,259 में सहवन से किसी भी प्रकार की त्रुटि नही हुई है। अर्थात् इसमें अन्तर्गत धारा 136 LRA दुरूस्त नही किया जा सकता। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण के दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 495 रकबा 1.7450 है0 खसरा नम्बर 546 रकबा 1.2013 है0 प्रार्थीगण की जाति मीना के स्थान पर ब्राहम्ण करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा